कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 02.10.2023

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल–16 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

04 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार–

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल के निर्देशन में चलाए जा रहे वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान के क्रम में जनपद गोंडा के थाना को0 देहात पुलिस ने 01 व थाना नवाबगंज पुलिस ने 03 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरूद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. थाना परसपुर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. दिलीप चन्द पुत्र मानकू शिल्पकार नि0 टिकुलिहन पुरवा त्यौरासी थाना परसपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–416/23, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 02.10.2023

कूटरचित दस्तावेज तैयार कर मकान का फर्जी बैनामा कराने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल ने अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्र0नि0/थानाध्यक्षों को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को0 मनकापुर पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर मकान का फर्जी बैनामा कराने के वांछित अभियुक्त अजीजुर्रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने वादी शैलेष कुमार त्रिपाठी पुत्र आनंद कुमार त्रिपाठी नि0 ग्राम सिंगारघाट थाना छपिया जनपद गोण्डा को कूटरचित दस्तावेज तैयार कराकर दूसरे का मकान बैनामा करा दिया था। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना को0 मनकापुर में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 मनकापुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त–
01. अजीजुर्रहमान पुत्र अब्दुल रहमान नि0 ग्राम पिपरा अदाई खोड़ारे जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–
01. मु0अ0सं0–515/23, धारा 419,420,467,468,471,120बी भादवि थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–
व0उ0नि0 प्रबोध कुमार मय टीम।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 02.10.2023

अन्तर्जनपदीय 03 शातिर चोर गिरफ्तार, चोरी के 03 अदद ट्रैक्टर व 03 अदद ट्राली बरामद–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल ने अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत शातिर चोरों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्र0नि0/थानाध्यक्षों को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को0 करनैलगंज पुलिस द्वारा अन्तर्जनपदीय 03 शातिर चोरों–आशीष सिंह उर्फ मर्जाद सिंह, 02. संतोष कुमार मिश्र, 03. ईदू को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 03 अदद ट्रैक्टर व 03 अदद ट्राली बरामद किया गया। उक्त अभियुक्तों ने दिनांक 06.07.2023 को वादी पवन कुमार यादव पुत्र मदन नि0 ग्राम कारी पुरवा मौजा कटहा थाना को0 देहात जनपद बहराइच के ट्रैक्टर–ट्राली में टेन्ट का समान लादवा कर कस्बा करनैलगंज लाये थे जहां से वादी को चकमा देकर ट्रैक्टर–ट्राली लेकर फरार हो गए थे तथा दिनांक 20.09.2023 को वादी शकील अहमद पुत्र शब्बीर अली नि0 हारीपुर थाना को0 नगर जनपद गोण्डा के ट्रैक्टर–ट्राली में सटरिंग का समान लादवा कर रामलीला मैदान कस्बा करनैलगंज आये थे जहां से ड्राइवर को चकमा देकर ट्रैक्टर–ट्राली लेकर फरार हो गए थे। जिसके सम्बन्ध में वादीगणों द्वारा थाना को0 करनैलगंज में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। इसी तरह जनपद बहराइच में एक अदद ट्रैक्टर–ट्राली चोरी की घटना को अंजाम दिया था। उक्त अभियुक्तगणों का एक संगठित गिरोह है जो जनपद गोण्डा, बहराइच व आसपास के जनपदों में ट्रैक्टर–ट्राली चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करते थें। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना को0 करनैलगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

01. आशीष सिंह उर्फ मर्जाद सिंह पुत्र राम अचल सिंह नि0 कारीपुरवा मौजा कौडहा थाना बौण्डी जनपद बहराइच।
02. संतोष कुमार मिश्र पुत्र प्रेम नरायन नि0 राजा बौण्डी थाना बौण्डी जनपद बहराइच।
03. ईदू पुत्र दौलत इकहरा नि0 अलियार बगिया मौजा पठानपुरवा थाना को0 करनैलगंज जनपद गोण्डा।

अनावरित अभियोग–

01. मु0अ0सं0–391/23, धारा 379,411 भादवि थाना को0 करनैलगंज जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0–555/23, धारा 420,379,411 भादवि थाना को0 करनैलगंज जनपद गोण्डा।
03. मु0अ0सं0–319/23, धारा 420,379,411 भादवि थाना कैसरगंज जनपद बहराइच।

बरामदगी–

03 अदद ट्रैक्टर–ट्राली।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

उ0नि0 आशीष कुमार मय टीम।
उ0नि0 मनीष कुमार मय टीम।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 02.10.2023

नाजायज चाकू के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध शस्त्र रखने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम मे थाना परसपुर पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान संदिग्ध प्रतीत होने पर अभियुक्त निर्मोहित चौहान को रोकटोक कर चेक किया गया तो उसके कब्जे से 01 अदद नाजायज चाकू बरामद हुआ। अभियुक्त के विरूद्ध थाना परसपुर में आर्म्स ऐक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त–
01. निर्मोहित चौहान पुत्र राजकुमार नि0 मुरावन पुरवा डेहरास थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–
01. मु0अ0सं0–417/23 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी–
01. 01 अदद नाजायज चाकू।

गिरफ्तार कर्ता–
उ0नि0 राजनरायन मय टीम।